Downloaded from http://abcaus.in

पत्र संख्या–आई0टी0– जी0एस0टी0 पंजीयन/2017–18/ 1619 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0–अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: जनवरी, 12 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

शासन की विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–1014/11–9(52)/17–U.P. GST Rules 2017 Order (31)-2017 दिनाँक 21.07.2017 के कम में दिनांक परिपत्र संख्या–स0द0जी0एस0टी0/माल परिवहन/2017–18/1102/1718024/वाणिज्य कर दिनांक 09.08.2017 के माध्यम से अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश में माल के परिवहन के समय ऑनलाइन ई–वे बिल डाउनलोड करने की व्यवस्था निर्धारित की गयी थी।

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अपंजीकृत व्यक्तियों को PAN तथा आधार नम्बर को अंकित करने तथा उनकी स्वः हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड करके विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपंजीकृत व्यापारियों के लिये विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध Format को पूर्णतः भरने के बाद ई–वे बिल डाउनलोड करने की प्रकिया निर्धारित की गयी है।

अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा डाउनलोड किये गये ई–वे बिल से सम्बंधी डाटा का विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई मामलों में अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा Single PAN पर जी0एस0टी0 में पंजीयन की Threshold Limit रूपये 20 लाख से अधिक के करयोग्य माल का आयात किया गया है। ऐसे समस्त अपंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा डाउनलोड किये गये ई–वे बिल का विवरण डाउनलोड करते समय अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा चयनित खण्ड की सूचना सहित VAT MIS के अन्तर्गत GSTN Report के Link पर उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे समस्त व्यापारियों की जांच कर उनको जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त कराने तथा आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 31.01.2018 तक प्रत्येक दशा में निरीक्षण अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनाँक उक्त ।

प्रतिलिपि :–ज्वाइण्ट कमिश्नर (निरीक्षण) वाणिज्य कर, मुख्यालय को अनुश्रवण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।